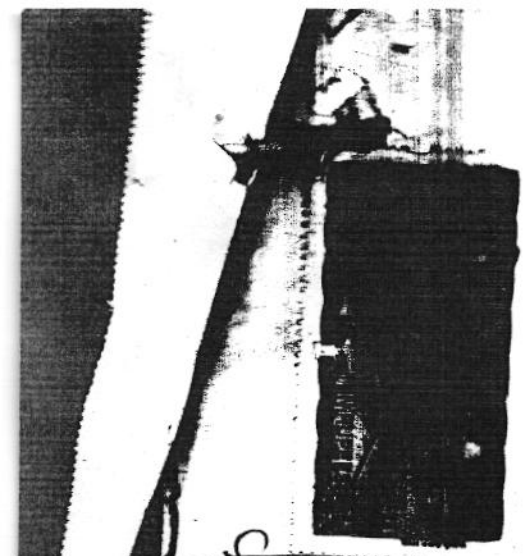

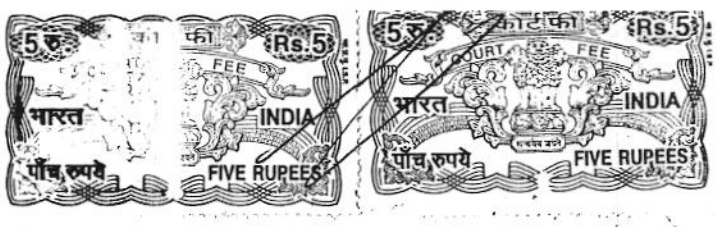

5 रु कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय, एवं सदस्य महोदय, मध्यप्रदेश राज्य राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प उज्जैन म.प्र.

R - 1132 - PBR/12 निगरानी अर्ज /2012

1. मधुसुदन पिता चन्द्रशेखर पाण्डे
2. बंसत पिता त्रिबंकराव पाण्डे
3. रजनीकांत पिता त्रिबंकराव पाण्डे

मृत वारिस –

(अ) – गौरव पिता रंजनीकांत पाण्डे

(ब) – श्रीमति लज्जा विधवा रंजनीकांत पाण्डे

(स) कु. गरीमा पिता रंजनीकांत पाण्डे

सभी का निवास जैलरोड देवास म.प्र.

4. सुशील कुमार पिता कन्हैयालाल बम
5. श्रीमति विजिया पति सुशील कुमार बम

निवासी मोतीबंगला देवास म.प्र. ...निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण

:: विरुद्ध ::

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, देवास
2. जे.एस.जे. रियल स्टेट प्रायवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय, ए.एन.जी. संवाद नगर इंदौर द्वारा डायरेक्टर

(अ) – मनोज कुमार पिता विमलचन्द्र जैन
निवासी 228, तिलकपथ इंदौर म.प्र.

(ब) – सतीश चन्द्र पिता रामचन्द्र जोशी
निवासी 9, एम.आई.जी. इंदौर म.प्र. ..विपक्षी/गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत एवं म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन अधिनियम 2011)

निरंतर...2.....

निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण की ओर से मुख्य रूप से विपक्षी क्रमांक 1&2 के खिलाफ माननीय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक वसु 1-पुर्नर्विलोकन /2009-10 में दिनांक 13-3-2012 को जो निर्णय पारि किया गया है उस निर्णय के खिलाफ यह निगरानी माननीय न्यायालय में समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है विपक्षी क्रमांक 2&द्वो& तथा 2&अ&, &ब ने प्रार्थीगण के साथ निगरानी प्रस्तुत करने हेतु अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है इस कारण उन्हें प्रोफार्मा विपक्षीगण बनाया गया है निगरा निम्न कारणों पर प्रस्तुत की जा रहीहै :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय या आदेश विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि उपरोक्त पुर्नर्विलोक आदेश 1/2009-10 में दिनांक 13-3-2012 को जो आदेश दिया है वह स्पष्टत: विधि एवं विधान के विपरीत है।

2. यह कि, धारा 50 एवं धारा 51 जो कि क्रमश: निगरानी एवं पुर्नर्विलोकन से संबंधित प्रावधान है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है तथा दोनों के विषय निराकरण के विधि तत्व &ingredient& भी भिन्न है तथा इन दोनों विधि प्रश्नों का निराकरण की प्रक्रिया भी भिन्न है।

धारा 50 भू.राजस्व संहिता 1959 में विधि प्रश्न जो अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहा हो उसकी वैधता या औचित्यता, या कार्यवाही की नियमितता के संबंध में विचार कर निर्णय दिया जाता है।

धारा 51 भू.राजस्व संहिता 1959 में आदेशों के पुर्नर्विलोकन की प्रक्रिया से संबंधित है याने कोई न्यायालय स्वयं के आदेश जो उसके द्वारा पारित किया गया हो उसे पुर्नर्विलोकन करने का उसको अधिकार है।

3. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा यह आपत्ति उठाई गई थी कि धारा 51 भू.राजस्व संहिता के

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1132-पीबीआर/12 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.एस. सिसोदिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	